अध्याय–II : बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

प्रवेश कर/मूल्य परिवर्धित कर (वैट)/केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं उनके अधीन बनाये गये नियमों को लागू करवाना, शासन स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) के प्रमुख आयुक्त होते हैं, जिनकी सहायता हेतु 23 अतिरिक्त आयुक्त, 46 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 405 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं एक वित्तीय सलाहकार है। सम्बन्धित कर कानूनों एवं नियमों को लागू करवाने में इनकी सहायता कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ करते हैं।

वैट, केन्द्रीय बिक्री कर और प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण, राजस्थान वैट अधिनियम, 2003, केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956, राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 एवं इनके अधीन बनाये गये नियमों और समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा विनियमित होते हैं।

2.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के प्रमुख हैं। सहायक लेखाधिकारी की अध्यक्षता में 17 आंतरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत थे। आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य योजना इकाइयों की महत्वपूर्णता और राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनायी जाती है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा की गयी इकाइयों की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये ड्यू इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल ड्यू इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी प्रतिशतता में
2012-13	66	384	450	267	183	41
2013-14	183	414	597	287	310	52
2014-15	310	413	723	471	252	35
2015-16	252	413	665	181	484	73
2016-17	484	468	952	426	526	55

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य में 35 से 73 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2016-17 के अन्त में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 17,417 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2011-12 तक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	योग
अनुच्छेदों की संख्या	11,677	1,276	1,152	942	1,382	988	**17,417**

बड़ी संख्या में बकाया अनुच्छेदों का निस्तारण नहीं होना यह दर्शाता है कि विभाग स्वयं के आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के द्वारा बताये गये आक्षेपों के निपटान की निगरानी तथा प्रभावी कार्यवाही हेतु कदम नहीं उठा रहा है ।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 में 71 इकाइयों के वैट/केन्द्रीय बिक्री कर/प्रवेश कर निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों की मापक जांच के दौरान 1,698 प्रकरणों में ₹ 103.87 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें पायी गयी, जो तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों में दर्शायी गयी हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	कर का अवनिर्धारण	461	68.71
2	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	31	3.00
3	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर चोरी	114	13.41
4	इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकार करना	183	11.53
5	अन्य अनियमितायें:		
	(i) राजस्व से सम्बन्धित	823	7.03
	(ii) व्यय से सम्बन्धित	86	0.19
योग		**1,698**	**103.87**

वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग ने 426 प्रकरणों में ₹ 36.05 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से राशि ₹ 1.25 करोड़ के 72 प्रकरण वर्ष 2016-17 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे । वर्ष 2016-17 के दौरान विभाग ने 48 प्रकरणों में ₹ 1.33 करोड़ की राशि वसूल/समायोजित की जिसमें से ₹ 0.05 करोड़ के 6 प्रकरण वर्ष 2016-17 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे ।

एक प्रकरण में लेखापरीक्षा द्वारा सरकार को तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के पश्चात विभाग ने इसको स्वीकार करते हुए ₹ 20.84 लाख की सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली । इस प्रतिवेदन में इसकी चर्चा नहीं की गयी है ।

उदाहरण के लिये कुछ प्रकरण आगे के अनुच्छेदों में दिये गये हैं जिनमें राशि ₹ 53.63 करोड़ सन्निहित है ।

2.4 कुशल राजस्व संग्रहण के लिये *राजविस्टा* का अपर्याप्त उपयोग किया जाना

वैट का निर्धारण एवं संग्रहण राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 एवं इसके अधीन बने नियमों द्वारा शासित होता है। प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान के स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (आरईटी अधिनियम) तथा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 (आरईटी नियम) तथा इसके अधीन जारी अधिसूचनाओं से शासित होता है। राज्य सरकार ने 9 मार्च, 2011 को अधिसूचना जारी करके अधिसूचित माल के किसी भी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग या विक्रय के लिये लाये जाने पर व्यवहारी द्वारा देय कर को निर्दिष्ट किया था। इसके अलावा अधिनियम के अनुसार देरी से भुगतान के लिए ब्याज भी देय है।

विभाग ने विभागीय प्राधिकारियों के उपयोग के लिये एक वेब-आधारित एप्लीकेशन *राजविस्टा* शुरू की, जिसमें माल के खरीद एवं विक्रय किये जाने पर कर के निर्धारण एवं संग्रहण की सुविधा हेतु विभिन्न मोड्यूल्स का प्रावधान किया गया तथा इस प्रकार राजस्व संग्रहण प्रणाली को सुरक्षित किया गया। तथापि, *राजविस्टा* अधिसूचित वस्तुओं पर प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यवहारियों के नाम/टिन को नही दर्शाता है। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने भी इस प्रणाली को इस तरह उपयोग में नही लिया जिससे ऐसे व्यवहारियों की तलाश की जा सके जो वैट अधिनियम के अन्तर्गत तो पंजीकृत थे किन्तु प्रवेश कर नही चुका रहे थे। लेखापरीक्षा द्वारा करापवंचना की संभावना वाली कुछ वस्तुओं का नमूना जांच के लिये चयन किया गया। ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में सूचनायें *राजविस्टा* से एवं अन्य राज्यों के दो विक्रेता व्यवहारियों से वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिये एकत्रित की गयी। लेखापरीक्षा ने इन सूचनाओं का विभाग में उपलब्ध कर निर्धारण अभिलेखों से मिलान किया तथा राशि ₹ 26.27 करोड़ के प्रवेश कर तथा वैट का कम आरोपण किया जाना पाया, जिसकी चर्चा आगे की गयी है:

2.4.1 प्रति-सत्यापन के परिणामों से पाया गया कि 270 व्यवहारियों ने विभिन्न माल यथा एयर कण्डीशनर्स, एक्सप्लोजिव, फर्नेश आयल, टायर एवं ट्यूब्स, पैटकोक, हाई स्पीड डीजल, कम्प्यूटर तथा उसकी एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक गुड्स, जनरेटिंग सेट्स, ट्रान्सफार्मर्स, लुब्रीकेन्ट ऑयल, वे-ब्रिज, एचडीपीई बैग्स, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, क्रेन तथा लोडर (अर्थमूविंग तथा माइनिंग मशीनरी) आदि कीमतन ₹ 1,926.75 करोड़ के अवधि 2012-14 के दौरान आयात किये। इन व्यवहारियों ने अपनी सम्बन्धित वैट विवरणियों में इस माल को विक्रय करने का उल्लेख नहीं किया था। यह दर्शाता है कि यह माल क्रेता व्यवहारियों द्वारा विक्रय नहीं किया गया था। इन व्यवहारियों ने इस माल पर राशि ₹ 19.38 करोड़ के प्रवेश कर को नहीं चुकाया था। ऐसे व्यवहारी ₹ 6.17 करोड़ के ब्याज के लिये भी दायी थे।

माल की खरीद से सम्बन्धित समस्त जानकारी वेब-आधारित एप्लीकेशन *राजविस्टा* पर उपलब्ध थी तथा सभी कर निर्धारण प्राधिकारियों के लिये सुलभ थी। फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व रिसाव को रोकने तथा प्रवेश कर आरोपित करने के लिये इस जानकारी का उपयोग नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप ₹ 25.55 करोड़ के प्रवेश कर व ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

विभाग को इस चूक के बारे में बताया गया (जून 2016 से जुलाई 2017) तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई से जुलाई 2017)। विभाग द्वारा 65 प्रकरणों में लेखापरीक्षा

टिप्पणियों को स्वीकार किया गया तथा ₹ 18.85 करोड़ की मांग कायम की । इसमें से ₹ 0.46 करोड़ की वसूली की गयी । शेष प्रकरणों के लिये वसूली की स्थिति तथा उत्तर प्रतीक्षित रहे ।

2.4.2 *राजविस्टा* पर उपलब्ध सूचना की जांच में पाया गया कि वृत्त विशेष-सप्तम, जयपुर के एक व्यवहारी ने राज्य के बाहर से कीमत ₹ 9.93 करोड़ का माल[1] सीएसटी घोषणा पत्र 'एफ'[2] के समर्थन पर प्राप्त किया था । व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों से सूचना का मिलान करने पर पाया गया (जून 2016) कि व्यवहारी ने वर्ष 2012-13 की वार्षिक वैट विवरणी में ₹ 8.18 करोड़ की कीमत का माल प्राप्त होना दर्शाया । इस प्रकार, 'एफ' प्रपत्र के समर्थन पर प्राप्त माल तथा वार्षिक विवरणी में दर्शाये गये माल के मध्य ₹ 1.75 करोड़[3] का अन्तर था । फिर भी, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (नवम्बर 2014) माल के कम लेखांकन को पकड़ा नहीं जा सका । इसके परिणामस्वरूप माल कीमतन ₹ 1.75 करोड़ पर ₹ 24.47 लाख वैट तथा ₹ 10.28 लाख के ब्याज का कम आरोपण हुआ था (मार्च 2016) ।

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017) सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2017) कि ₹ 36.22 लाख (कर ₹ 24.47 लाख तथा ब्याज ₹ 11.75 लाख) की मांग कायम की जा चुकी है तथा ₹ 2.45 लाख कर के वसूल किये जा चुके हैं । आगामी प्रगति प्रतीक्षित रही (नवम्बर 2017) ।

2.4.3 *राजविस्टा* पर उपलब्ध सूचना (डीलर पेमेन्ट सर्च रिपोर्ट) से पाया गया (दिसम्बर 2016) कि वृत्त विशेष-द्वितीय, भिवाडी के एक व्यवहारी ने वर्ष 2012-13 के लिये ₹ 2.56 करोड़ का कर जमा कराया । फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जून 2015) ₹ 2.82 करोड़ के कर का समायोजन दिया गया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.76 लाख के कर का अधिक समायोजन दिया गया । इसके अलावा, ब्याज ₹ 10.82 लाख भी आरोपणीय था (मार्च 2016) ।

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2017) । सरकार ने अवगत कराया (अप्रैल 2017) कि ₹ 39.16 लाख (कर ₹ 25.76 लाख तथा ब्याज ₹ 13.40 लाख) की मांग कायम की जा चुकी है । यह भी सूचित किया गया (जून एवं अगस्त 2017) कि व्यवहारी से ₹ 13.05 लाख की वसूली की जा चुकी है जिसमें ₹ 12.67 लाख व्यवहारी को उपलब्ध आईटीसी में से समायोजित किये गये तथा ₹ 0.38 लाख की नगद वसूली की जा चुकी है । बकाया राशि की वसूली की आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2017) ।

---

[1] सेफ्टी रेजर ब्लेडस जिस पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय था ।

[2] सीएसटी फार्म एफः एफ फार्म एक व्यवहारी द्वारा तब जारी किया जाता है कि जबकि वह ये दावा करें कि वह सीएसटी अधिनियम के तहत, ऐसे माल के लिये, जिसमें माल का आवागमन एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण अपने अन्य व्यवसाय स्थल या अपने व्यवसाय के लिये या अपने ऐजेण्ट या प्रिसिंपल को किया गया है तथा इस आधार पर कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं है ।

[3] ₹ 9.93 करोड़ - ₹ 8.18 करोड़ ।

2.5 आगत कर की अनियमित स्वीकृति

राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पंजीकृत व्यवहारियों को इस धारा में बताये गये प्रयोजनों के लिये राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये गये कर योग्य माल पर आगत कर लाभ इस हेतु निर्धारित तरीके एवं सीमा तक दिया जायेगा। आगत कर लाभ विक्रेता व्यवहारी द्वारा देय कर के जमा का सत्यापन किये जाने के उपरान्त स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के अनुसार यदि कोई व्यवहारी गलत आगत कर लाभ प्राप्त कर लेता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आगत कर लाभ को रिवर्स करेगा और ऐसे व्यवहारी पर गलत आगत कर लाभ की राशि की दुगुनी शास्ति आरोपित करेगा।

2.5.1 तीन वृत्तों[4] के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (अगस्त 2016 एवं अक्टूबर 2016 के मध्य) कि पांच व्यवहारियों (क्रेता व्यवहारी) ने वर्ष 2012-13 में विक्रेता व्यवहारी से कर योग्य माल क्रय किया तथा राशि ₹ 2.07 करोड़ का आगत कर का लाभ लिया। विक्रेता व्यवहारी के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मांग (राशि ₹ 2.70 करोड) कायम करने के उपरान्त भी विक्रेता व्यवहारी ने देय कर जमा नहीं करावाया। उसने क्रेता व्यवहारियों के कर निर्धारण प्राधिकारियों को इन क्रेता व्यवहारियों को आगत कर स्वीकृत नहीं करने के लिये सूचित किया (जून 2014)। फिर भी क्रेता व्यवहारियों के कर निर्धारण अधिकारियों ने क्रेता व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2015 से जून 2015 के मध्य) राशि ₹ 2.07 करोड़ का गलत आगत कर लाभ स्वीकृत किया।

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2017) कि क्रेता व्यवहारियों के विरूद्ध कर राशि ₹ 2.07 करोड़ व ब्याज राशि ₹ 1.10 करोड़ की मांग कायम कर दी गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

2.5.2 राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 1(ई) व (जी) के अनुसार कर-मुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल एवं पूंजीगत माल की खरीद पर आगत कर लाभ देय नहीं होगा। वृत्त 'सी', जयपुर के वर्ष 2013-14 के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (दिसम्बर 2016) कि कर-मुक्त माल का निर्माण एवं विक्रय करने वाले एक व्यवहारी ने राशि ₹ 57.08 लाख[5] के आगत कर लाभ का दावा पूंजीगत माल व कच्चे माल[6] की खरीद पर किया।

कर निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि व्यवहारी ने कच्चे माल व पूंजीगत माल का उपयोग राजस्थान वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर-मुक्त माल के निर्माण में किया था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (अक्टूबर 2015) उक्त गलत क्रेडिट को रिवर्स करने के स्थान पर अनियमित रूप से आगत कर लाभ स्वीकृत कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 57.08 लाख का अनियमित आगत कर लाभ स्वीकृत हो गया। इसके अतिरिक्त राशि ₹ 1.14 करोड़ की शास्ति भी आरोपणीय थी।

---

[4] वृत्तः विशेष-तृतीय, जयपुर; विशेष-पंचम, जयपुर और 'एन', जयपुर।

[5] आगत कर ₹ 57.08 लाखः ₹ 42.52 लाख पूंजीगत माल की खरीद पर और ₹ 14.56 लाख कर-मुक्त माल के निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल की खरीद पर।

[6] पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार व्यवहारी बिल्डिंग स्टोन, ग्रिट और गिट्टी का व्यवसाय करता है जो कि कर-मुक्त माल है।

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2017) । सरकार ने अवगत कराया (जून 2017) कि व्यवहारी द्वारा दावा की गयी आगत कर राशि ₹ 57.08 लाख को रिवर्स कर दिया गया है । यह भी अवगत कराया गया (सितम्बर 2017) कि राशि ₹ 1.14 करोड़ की शास्ति आरोपित कर दी गयी है । वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017) ।

2.6 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनारोपण

सीएसटी अधिनियम की धारा 10ए सपठित धारा 10(सी) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में माल खरीदते समय पंजीकृत व्यवहारी नहीं होने के उपरान्त भी गलत ढंग से यह दर्शाता है कि वह पंजीकृत व्यवहारी है तो प्राधिकारी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे पंजीयन प्रमाण पत्र देने के लिये सक्षम है, उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त, लिखित आदेश द्वारा, माल पर कर[7] की डेढ़ गुणा तक शास्ति आरोपित कर सकता है । सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत कर से आंशिक/पूर्ण छूट के लिये विभिन्न घोषणा पत्र जैसे सी, एफ, एच, ई-I तथा ई-II आदि विहित किये गये हैं । तथापि, यदि व्यवहारी वांछित घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो कर से आंशिक/पूर्ण छूट अनुमत्य नहीं होगी ।

इसके अतिरिक्त सीएसटी (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 17 के उपनियम (20) सपठित राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 67 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर गलत लेखे, विक्रय एवं क्रय बीजक तैयार या प्रस्तुत करता है अथवा जानबूझकर अपने व्यवसाय या इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करने योग्य घोषणा पत्रों के सम्बन्ध में गलत विवरणियां तैयार या प्रस्तुत करता है तो वह प्राधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्धी पर छः माह तक के साधारण कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जायेगा ।

2.6.1 सीएसटी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में अन्य पंजीकृत व्यवहारी को माल बेचता है तो वह 1 जून 2008 से रियायती दर 2 प्रतिशत से कर चुकायेगा परन्तु यह बिक्री घोषणा पत्र 'सी' से समर्थित हो अन्यथा ऐसे माल की राज्य में बिक्री या खरीद पर लागू दर से कर आरोपणीय होगा । राजस्थान वैट अधिनियम के अनुसार माल 'बिटुमन' (डामर) पर 14 प्रतिशत की दर आरोपणीय थी।

वृत्त बी, बीकानेर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (नवम्बर 2016) कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2013-14 में अन्तर्राज्यीय व्यापार के क्रम में बिटुमन राशि ₹ 5.73 करोड़ की बिक्री/हस्तान्तरण उक्त संव्यवहारों के लिए लिए जरूरी सीएसटी घोषणा पत्रों को प्रस्तुत किये बिना किया । तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2016) 14 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की गलत दर लगाई । इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 51.61 लाख के अतिरिक्त ब्याज राशि ₹ 15.48 लाख

[7] कर जो कि धारा 8 की उपधारा (2) के तहत व्यवहारी को माल की बिक्री पर आरोपित किया जाता यदि यह बिक्री उक्त उपधारा के अन्तर्गत बिक्री होती ।

(मार्च 2016) का निम्न विवरणानुसार कम अरोपण हुआः

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री का प्रकार एवं वांछित प्रपत्र	संव्यवहारों की राशि जिनके लिये सीएसटी घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लगाई गई कर की दर	कम लगाई गई कर की दर	कर का कम निर्धारण
1	धारा 8(1) घोषणा पत्र 'सी'	1.13	5	9	0.10
2	धारा 6(ए) घोषणा पत्र 'एफ'	0.18	5	9	0.02
3	धारा 6(2) घोषणा पत्र 'सी' एवं 'ई-I/II'	4.42	5	9	0.40
योग		**5.73**			**0.52**

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017)। सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2017) कि मांग राशि ₹ 70.71 लाख (कर राशि ₹ 51.61 एवं ब्याज राशि ₹ 19.10 लाख) कायम कर दी गयी। वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।

2.6.2 दो वृत्तों[8] के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (सितम्बर 2016 एवं जनवरी 2017) कि आठ व्यवहारियों ने 11 राज्यो से घोषणा प्रपत्र 'सी' के विरूद्ध राशि ₹ 287.84 करोड़ का माल क्रय करना दर्शाया। व्यवहारियों ने प्रपत्र 'सी' विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से जारी करवाये थे। सात व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के अनुसार घोषणा प्रपत्र सी के विरूद्ध क्रय किये गये माल की कीमत राशि ₹ 277.73 करोड़ थी और इसे राज्य के बाहर स्थित अपनी ब्रान्चों/एजेन्टों को घोषणा प्रपत्र एफ के विरूद्ध हस्तान्तरण करना दर्शाया था। संव्यवहारो के समर्थन में प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत नहीं किये गये। अन्य मामले में व्यवहारी ने राशि ₹ 10.11 करोड़ के माल के लिए प्रपत्र 'सी' जारी किये लेकिन अपनी विवरणी में शून्य खरीद एवं शून्य टर्नओवर दर्शाया। विभाग ने जांच करवायी (नवम्बर 2011 से जून 2015) तथा यह पाया कि इन व्यवहारियों के व्यवसाय स्थलों पर कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा रही थी। इन सभी आठ व्यवहारियों के पंजीयन प्रमाण पत्र उनके पंजीयन की तिथि से ही निरस्त (जून 2015 एवं जुलाई 2016 के मध्य) कर दिये गये।

राजविस्टा पर उपलब्ध कर निर्धारण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों के दायित्व का निर्धारण नहीं किया। न तो राशि ₹ 22.44 करोड़ की शास्ति के आरोपण हेतु कोई कार्यवाही की गई और न ही इन प्रकरणों में अधिनियम की धारा 67 के तहत अभियोग चलाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई एवं अगस्त 2017 के मध्य)। सरकार ने अवगत करवाया (अगस्त एवं अक्टूबर 2017) कि इन प्रकरणों में धारा 67 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है।

[8] वृत्तः ए जयपुर और सी जयपुर।

2.7 कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारणों में की गयी अनियमितताओं के कारण राजस्व की कम वसूली

तीन वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों के कर निर्धारणों को त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से अंतिम रूप दिया जिसके परिणामस्वरूप कर का कम निर्धारण और अनुदान की अधिक स्वीकृति राशि ₹ 46.35 लाख एवं ब्याज ₹ 0.20 लाख का कम आरोपण हुआ जैसा कि आगामी टेबिल में बताया गया है:

क्र. सं.	वृत्त का नाम	सम्बन्धित प्रावधान	टिप्पणी
1	विशेष-द्वितीय, भिवाड़ी	राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 40(2) एवं 5(ए) के प्रावधानुसार अवार्डर कर की एवज में काटी गयी राशि को चालान के जरिये राजकोष में जमा करवायेगा । इस तरह की राशि की जमा की तारीख से एक माह के भीतर प्रत्येक ठेकेदार की कर कटौती एवं जमा का उल्लेख करते हुये एक मासिक विवरण सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा ।	एक व्यवहारी ने अवधि 2012-13 के दौरान सात ठेकेदारों को राशि ₹ 4.83 करोड़ का भुगतान करते समय राशि ₹ 14.49 लाख की स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की । व्यवहारी ने टीडीएस काट कर राजकोष में जमा (जून 2012 और मई 2013 के मध्य) कराया तथा विवरण कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया । कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के वर्ष 2012-13 के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जून 2015) व्यवहारी के अवार्डर के रूप में दायित्व को निर्धारित नहीं किया और टीडीएस राशि का व्यवहारी के नियमित व्यवसाय के कर दायित्व के विरूद्ध अनियमित रूप से समायोजन दे दिया । इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 14.49 लाख का अनियमित समायोजन दिया गया ।
चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017) । सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2017) कि ₹ 14.49 लाख की मांग कायम कर दी गयी । वसूली की अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017) ।			
2	विशेष-तृतीय, जयपुर	राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 2(33) के प्रावधानुसार धारा 18 के प्रावधानों के विपरीत लिये गये आगत कर लाभ को रिवर्स किया जायेगा । इसके अलावा, राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार पंजीकृत व्यवहारी द्वारा कर अवधि के लिये अदा किये जाने वाले शुद्ध देय कर की गणना निर्धारित सूत्र[9] द्वारा की जायेगी ।	एक व्यवहारी ने वर्ष 2012-13 की वार्षिक विवरणी में राशि ₹ 9.53 लाख निर्गत कर तथा ₹ 18.25 लाख रिवर्स कर दर्शाया । कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (जून 2015) निर्गत कर तथा निर्धारित फार्म प्रस्तुत न करने के कारण अतिरिक्त कर का आरोपण किया एवं ₹ 1.30 करोड़ की मांग कायम की तथापि ₹ 18.25 लाख के रिवर्स कर का आरोपण नही किया । इसके परिणामस्वरूप, इस राशि की मांग का कम आरोपण हुआ ।
चूक के बारे में सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2017) । सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (जुलाई 2017) कि ₹ 27.92 लाख की मांग (कर ₹ 18.25 लाख तथा ब्याज ₹ 9.67 लाख) कायम कर दी गयी । वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017) ।			

[9] टी = (ओ+आर+पी) – आई, जहां टी अर्थात शुद्ध देय कर; ओ अर्थात निर्गत कर की राशि; आर अर्थात रिवर्स कर; पी अर्थात धारा 4(2) के अनुसार देय कर राशि और आई अर्थात आगत कर की राशि ।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	सम्बन्धित प्रावधान	टिप्पणी
3	विशेष-सप्तम, जयपुर	राजस्थान इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन स्कीम, 2010 (रिप्स) के क्लाज 4ई के अनुसार रोजगार सृजन अनुदान की राशि सेवा में पूर्ण किये गये प्रत्येक वर्ष के लिये ₹ 15,000/18,000 प्रति कर्मचारी[10] है। इसके अतिरिक्त रिप्स के क्लॉज 11 के अनुसार अनुदान की गणना में रिकार्ड पर दर्शित भूल को सुधारने के लिये अनुदान वितरण अधिकारी अपने आदेश को संशोधित करेगा और आधिक्य राशि को, यदि कोई है तो, ऐसे उपक्रम से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित वसूल करेगा।	एक व्यवहारी ने 293 कार्यरत कर्मचारियों के लिये राशि ₹ 27.26 लाख का रोजगार अनुदान का दावा प्रस्तुत किया। अनुदान अभिलेखों की जांच में पाया गया कि केवल 90 कर्मचारियों (85 पुरूष तथा 5 महिला कर्मचारी) ने पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान काम किया। इसलिये अनुदान केवल 90 कर्मचारियों के लिये स्वीकृत होना चाहिये था। जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी द्वारा दावा किये गये सभी 293 कर्मचारियों के लिये अनुदान को स्वीकार और वितरित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप रोजगार अनुदान ₹ 13.61 लाख अधिक स्वीकृत हो गया। इसके अतिरिक्त ब्याज ₹ 0.20 लाख (मार्च 2016) भी आरोपणीय था।
प्रकरण को ध्यान में लाये जाने पर (जून 2016), सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2017) कि ₹ 16.59 लाख की मांग (अधिक अनुदान ₹ 13.61 लाख तथा ब्याज ₹ 2.98 लाख) कायम कर दी गयी और ₹ 8.97 लाख वसूल कर लिये गये। यह भी सूचित किया गया कि बकाया शेष मांग पर राजस्थान कर बोर्ड अजमेर द्वारा स्थगन दिया गया है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2017)।			

[10] ₹ 15,000 सामान्य कर्मचारी तथा ₹ 18,000 महिला/एससी/एसटी कर्मचारियों के लिये।